

न्यायालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. ५०३/१८

सरकार

बनाम

श्री: दंजी शंभु
जाति गुजरे

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा ९१ एल. आर. एक्ट

दिनांक १२/३/१८

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा ९१ LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री दंजी पुत्र श्री शंभु जाति गुजरे निवासी सिकन्दरपुर तहसील महवा ने संवत् २०१५ फसल रवि / खरीफ में ग्राम सिकन्दरपुर की राजकीय आराजी खसरा नं. ८८९/१०२३ रकबा ०.०५ किस्म परागाई भूमि से ०.०५ रकबा पर अनाधिकृत रूप से भूजान वधाई कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अतः अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रुपये १.०० का ५० गुना ५० शि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहा
नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)

नायब तहसीलदार
महवा जिला दौसा

रजिस्टर ग/ध के पेज नं०... ११२ ...पर
वर्ष २०१७-१८ में देनल्टा...
की राशि ५० रुपये...
की जमा राशि की गई।
दिनांक १२/३/१८
तहसील महवा
लेखाकार
तहसील-महवा